RR (17)

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 1280/3/06 (8)

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु — बीस हज़ार रुपये — RUPEES 20000 रुपये — INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177335

STAMP 07 NOV 2006 S. T. O. Mathura

(8)

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला / ग्राम....मौजा नगला सदोला तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 0.506 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन....नहीं
6. बोरिंग / कुंआ / अन्य.. नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 2500000 / –.रुपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 2501854 / –रुपये

24/11/06

स्टाम्प अधिनियम की धारा 16- के अन्तर्गत इकरारनामा सं० ... पर अदा किया गया ... 0910 विक्रय विलेख सं. ... स्टाम्प सं. ... के साथ समायोजित कि.मा. 12/8/03/06

13/11/06

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177336

(2)

9. स्टाम्प देय 250200/–रूपये जिसमें से 10000/–रूपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक–13.3.2006 प्रलेख संख्या–2441 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 240300/–रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र द्वारा अदा किया जा रहा है

10. सरकारी दर भूमि सड़क के सहारे होने की वजह से 2000000/–रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 70 क्रमांक 19 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा –प्रथम

प्रथमपक्ष की संख्या (1)

<u>विक्रेता का विवरण</u>

रामभरोसी पुत्रश्री हीरालाल निवासी ग्राम असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री सुभाषचन्द खण्डेलवाल पुत्र स्व0श्री मूलचन्द जी खण्डेलवालनिवासी कुशकगली, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177337

(3)

द्वितीयपक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

J77338

STAMP
07 NOV 2006
Sr. T.O. Mathura

(4)

हमकि रामभरोसी पुत्रश्री हीरालाल निवासी ग्राम असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री सुभाषचन्द खण्डेलवाल पुत्र स्व0श्री मूलचन्द जी खण्डेलवालनिवासी कुशकगली, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नबर–112 व खसरा नंबर–189 रकवा 0.506 हैक्टेयर लगानी 8.35 रुपया सालाना बाकै मौजानगला सदोला तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय (8)

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177339

STAMP

07 NOV 2006

T.O. Mathura

(5)

में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177340

07 NOV 2006
Tr. T.O. Mathura

(6)

प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क के सहारे होने की वजह से सरकारी रेट 2000000/-रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु मालियत 2501854/-रूपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक-13.3.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-1 जिल्द

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु.

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177341

07 NOV 2006

Mathura

(7)

3544 के सफा 299/304 नंबर–2441 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस मुहायदा वै में 10000/–रूपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से 100/–रूपये का स्टाम्प कमकर 9900/–रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रहा है व शेष 240300/–रूपये का

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

177342

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

STAMP
07 NOV 2006
Sr. T.O. Mathura

(8)

स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 2500000/–पच्चीस लाख रूपया जिसके आधे 1250000/–बारह लाख पचास हजार रूपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल

भारतीय गैर न्यायिक
Rs.20000रु
बीस हज़ार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177343

STAMP
07 NOV 2006
Sr. T.O. Mathura

(9)

निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 60000/–रूपया खरीदार से बतौर पैशगी इकरारनामा दिनांक–13.3.2006 द्वारा पाये व शेष 2440000/–रूपये नकद पहले ही प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधि

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु.

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

177344

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

STAMP
07 NOV 2006
S.T.O. Mathura

(10)

ाकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177345

STAMP

01 NOV 2006

Sr. T.O. Mathura

11)

या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177346

07 NOV 2006

Sr. T.O. Mathura

12

वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 928001

है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0—2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर—6 खण्ड 123 के सफा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 928002

105 / 108 पर नंबर–441 पर दिनांक–2.8.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 928003

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक–8.11.2006

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

क्रमांक..... दिनांक 8/11/06 मूल्य 100

नाम श्री..................पुत्र.......

पता........ 76

डॉ० नरेश कुमार जाखड़
सहा० रोकड़िया
कोषागार, मथुरा

TREASURY
MATHURA
08 NOV 2006
Sig. Cashier

आज दिनांक 13/11/2006 को

बही सं 1 जिल्द सं 3973

पृष्ठ सं. 219 से 250 पर कमांक 12803

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
13/11/2006

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010200116 ग्राम का नाम : नगला सदोला परगना : मथुरा तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00078	रामभरोसी	हीरालाल	नि0 असगरपुर	1404फ0	189	0.5060		1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद सं.319 TM ता.फै15.12.06 के अनुसार खाता सं.78 गाटा सं. 189/0.506 भू.रा.8.35 से विक्रेता रामभरोसी पुत्र हीरालाल निवासी असगरपुर का नाम निरस्त करके एस.जे.बी. ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री जमनाधाम कालौनी मथुरा का नाम बजरिये बैनामा दिनांक 8.11.06 के आधार पर बतौर सं.भू. अंकित हो। ह.RK.15.12.06 1414फ न्यायालय उपजिलाधिकारी मथुरा वाद सं.92/06-07 एस.जे.पी.ग्लोबल आदि बनाम सरकार धारा-143 ज.वि. भू.व्य.अधि. मौजा नगला सदोला की घोषण अन्तर्गत धारा-143 दिनांक 16.1.07 प्राप्त 23.2.07 के अनुसार उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 16.1.07 के अनुसार निम्नप्रकार अकृषित घोषित किया जाता है। मौजा नगला सदोला-खातेदार-एस.जे.पी.ग्लोबल द्वारा राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्रीजमुनाधाम कालोनी मथुरा खाता सं.78 खसरा सं.189 रकवा 0.506 भू.रा.8.35 को अकृषित घोषित किया जाता है। ह.ARK.23.2.07	कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि प्रदाता ह0 प्रभारी दिनांक 12 FEB प्रतिलिपि क्रमांक 253 तहसील

कुल गाटे : 1 कुल क्षे : 0.5060 8.35